2020/00495

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री रमेश पुत्र श्री कसनाजी जाति रेबारी निवासी कोदरला तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम**

मुकदमा नं. 157वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.10.2020	प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र नायब तहसीलदार पिण्डवाडा के मुकदमा सं. 192/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 के विरूद्ध धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत् अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की अवधी को कन्डोन कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत पेश किया प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.11.2020 को पेश हो । **जिला कलक्टर, सिरोही**	
06.11.2020	अपीलांट/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में कोविड़–19 के कारण देरी होना बताया गया है जो सद्भावनापूर्ण पाया जाता है। अतः अपीलांट/ का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को प्रस्तुत होने में हुई विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.01.12 17:12:31 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner